## DHANBAD MUNICIPAL CORPORATION

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा 152 (3) के अन्तर्गत स्वनिर्धारित किये गये संम्पती कर की सचना।

Memo No.: 171659230821114822

Date : **23-08-2021** ਸ਼ਮਾਰੀ : **1 2016-2017** 

श्री/श्रीमती/सुश्री RITESH ABHINAV AND AJAY KUMAR SHARMA C/O LT.VIJAY KUMAR SHARMA, मोहल्ला JHARUDIH DHANBAD DHANBAD

DHANBAD , 826001

9386915121

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका नया गृह सं॰ - 0200003321000A2 वार्ड सं॰ 20 हुआ है, आपके स्व॰ निर्धारण घोषणा पत्र के आधार पर वार्षिक किराया मूल्य 7560/- रू॰ निर्धारित किया गया है । इसके अनुसार प्रति तिमाही कर निम्न प्रकार होगा।

	स्व-नि	र्धारित कर की सूचना	
क्रम सं.	Particulars		Amount (In Rs.)
1.	गृह कर		38.00
2.	जल कर		0.00
3.	शौचालय कर		0.00
4.	बिजली कर	· X-	38.00
5.	अतिरिक्त गृह कर (वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने वे	h कारण)	19.00
कुल राशि (प्रति तिमाही)			57.00



To be signed by the Applicant

नोट:

- 1. कर निर्धारण की सूची, DHANBAD MUNICIPAL CORPORATION Website, <u>suda.jharkhand.gov.in</u> पर प्रदर्शित है।
- 2. नियमावली कंडिका 11.4 के आलोक में वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण अतिरिक्त गृह कर लगाया जायेगा जो सम्पति कर का 50% होगा । हिदायत दी जाती है कि, वर्षा जल संरक्षण संरचना लगा कर निगम को सुचित करे तथा अतिरिक्त गृह कर से राहत पायें।
- 3. प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सम्पति कर का भ्गतान त्रैमासिक देय होगा
- 4. यदि किसी वर्ष के लिए सम्पूर्ण घृति कर का भ्गतान वित्तीय वर्ष के 30 जून के पूर्व कर दिया जाता है, तो करदाता को 5% की रियातय दी जाएगी।
- 5. किसी देय घृति को निर्दिष्ट समयावधि (प्रत्येक तिमाही) के अन्दर या उसके पूर्व नहीं च्काया जाता है, तो 1% प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज देय होगा।
- 6. यह कर निर्धारण आपके स्व-निर्धारण एवं की गई घोषणा के आधार पर की जा रही है, इस स्व-निर्धारण -सह-घोषणा पत्र की स्थानीय जांच यथा समय निगम करा सकती है एवं तथ्य गलत पाए जाने पर नियमावली कंडीका 13.2 के अनुसार निर्धारित शास्ति (Fine) एवं अंतर राशि देय होगा।
- 7. DHANBAD MUNICIPAL CORPORATION द्वारा संग्रहित इस सम्पति कर इन इमरतों/ढांचों को कोई कानूनी हैसियत प्रदान नहीं करता है और/या न ही अपने मालिकों / दखलकार को कोई कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
- 8. अगर आपके नये होल्डिंग नंओ का आखिरी अंक 5/6/7/8 है तो यह विशिष्ट संरचनाओं की श्रेणी के अन्तर्गत माना जायेगा ।

NOTE: This is a Computer generated receipt. This receipt does not require physical signature.